"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2017—— कार्तिक 8, शक 1939

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 4214/2412/2017/19/तक-4. — छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) की धारा 3 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला रायपुर के फाफाडीह-तेलीबांधा-नया रायपुर मार्ग (लंबाई 12.02 कि. मी.) को अभिव्यक्त राजमार्ग (एक्सप्रेस हाईवे) घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्रमांक 4214/2412/2017/19/तक-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4214/2412/2017/19/तक-4, दिनांक 30-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 30th October 2017

NOTIFICATION

No. 4214/2412/2017/19/T-4. — In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 3 of the Chhattisgarh State Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003), the State Government, hereby, declares the Fafadih-Telibandha-Naya Raipur Road (Length 12.02 Km.) in District Raipur as Express Highway.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.